न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 68/2019/दावा

1. किशनाराम पुत्र गंगाराम कुमावत जाति कुम्हार निवासी वार्ड नंम्बर 14, भोमियाजी की ढाणी (ज्ञानदासपुरा) तन दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादी

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत वकील वादी ओर सें।

नि र्ण य दिनांक — **06.01.2020**

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1062/900 रकबा 0.45 हैक्टर, ख0नं0 1065/452 रकबा 0.49 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 0.94 हैक्टर, ख0नं0 1132/1061 किता 01 कुल रकबा 0.2458 है0 ख0नं0 899 किता 01 कुल रकबा 0.0200 है0 ख0नं0 997 किता 01 कुल रकबा 0.71 है0 वाके ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशनलाल है जबकि वादी का नाम अन्य दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड एवं राशन कार्ड में किशनाराम बदस्तुर अंकित चला आ रहा है। किशनलाल व किशनाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशनलाल दर्ज है, जो कि सहवन से दर्ज चला आ रहा है। इसलिए वादी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में भिन्न भिन्न होने के कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी की भूमि को विकसित करने की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हो रहा है। जिससे वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही है। इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम किशनाराम दर्ज करवाने की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वादपत्र पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1062/900 रकबा 0.45 हैक्टर, ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

1065/452 रकबा 0.49 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 0.94 हैक्टर, ख0नं0 1132/1061 किता 01 कुल रकबा 0.2458 है0 ख0नं0 899 किता 01 कुल रकबा 0.0200 है0 ख0नं0 997 किता 01 कुल रकबा 0.71 है0 वाके ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में वादी का सही व वास्तविक नाम किशनाराम दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी किशनलाल के स्थान पर किशनाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किये जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादी तथा सहखातेदार सुगनचंद पुत्र पन्नाराम के बयानात लिये गये जिनमें सहखातेदार सुगनचंद ने उक्त वांछित दुरूस्ती करने हेतु अनापत्ति जाहिर की तथा वादी के गलत रूप सें अंकित नाम को दुरूस्त कर किशनाराम दर्ज करने हेतु आग्रह किया। वादपत्र पर वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए संहवन सें गलत अंकित वादी के नाम को दुरूस्त कर सही व वास्तविक नाम किशनाराम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। सहखातेदार के बयानात पर गौर किया गया। चूंकि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी तथा अन्य दस्तावेजों में एकरूप नहीं है अतः **वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा सहखातेदार के बयानों के आधार पर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है तथा ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तह0 दांतारामगढ की खसरा नम्बर 1062/900 रकबा 0.45 हैक्टर, ख0नं0 1065/452 रकबा 0.49 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 0.94 हैक्टर, ख0नं0 1132/1061 किता 01 कुल रकबा 0.2458 है0 ख0नं0 899 किता 01 कुल रकबा 0.0200 है0 ख0नं0 997 किता 01 कुल रकबा 0.71 है0 में खातेदार वादी का नाम किशनलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर किशनाराम पुत्र गंगाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।** शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। डिकी जारी हो। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

किशनाराम बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 68 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 06.01.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तह0 दांतारामगढ की भूमि खसरा नम्बर 1062 / 900 रकबा 0.45 हैक्टर, ख0नं0 1065 / 452 रकबा 0.49 हैक्टर किता 2 कुल रकबा 0.94 हैक्टर, ख0नं0 1132 / 1061 किता 01 कुल रकबा 0.2458 है0 ख0नं0 899 किता 01 कुल रकबा 0.0200 है0 ख0नं0 997 किता 01 कुल रकबा 0.71 है0 में खातेदार वादी का नाम किशनलाल के स्थान पर किशनाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

बीज .... मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.01.2020 को जारी की गई।

मोहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ